

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ3(ख) आर-246/2011(9540)/अलेसे-आ/ 520-526

दिनांक 16.6.16

शुद्धि पत्र

श्री रविकान्त थानवी, (लिंक नम्बर 9540) सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड-आ, कार्यालय-परियोजना प्रबन्धक, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण, जिला परिषद, जैसलमेर की परिवीक्षा-प्रशिक्षण अवधि बढ़ाने के संबंध में जारी विभागीय आदेश संख्या 504-509 दिनांक 14.06.2016 के प्रथम पैरा में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 32 (2) के स्थान पर 33(1) पढ़ा जावे ।

  
(पंकज यादवी)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ3(ख) आर-246/2011(9540)/अलेसे-आ/ 520-526

दिनांक 16.6.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 जिला कलक्टर, जैसलमेर ।
- 2 निदेशक, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण, जिला परिषद, जयपुर ।
- 3 परियोजना प्रबन्धक, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण, जिला परिषद, जैसलमेर ।
- 4 वित्तीय सलाहकार, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण, जिला परिषद, जयपुर ।
- 5 श्री रविकान्त थानवी, सलेअ-आ कार्यालय- परियोजना प्रबन्धक, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण, जिला परिषद, जैसलमेर ।
- 6 उपनिदेशक, कम्प्यूटर शाखा { वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु }
- 7 पदस्थापन सीट / निजी पत्रावली / रक्षित पंजिका ।

  
(डॉ० मनीष शुक्ला)  
अतिरिक्त निदेशक [कार्मिक-आ]